न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 85/2008 (2008/00006)

वादीगण

1. भागीरथराम पुत्र मोहनराम जाति बावरी निवासी ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।

Web Copy - Not Official

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुखदेव पुत्र जैसाराम बावरी निवासी चितावा के कायम मुकाम
   1/1 कैमलदेवी पत्नी सुखदेव नि0 चितावा
   1/2 राधेश्याम पुत्र सुखदेव नि0 चितावा
   1/3 सरोज पुत्री सुखदेव नि0 चितावा
   1/4 लिछमा पुत्री सुखदेव नि0 चितावा
2. रामदेव पुत्र जैसाराम जाति बावरी के कायम मुकाम
   2/1 गीतादेवी बेवा रामदेव
   2/2 तिलोकचंद पुत्र रामदेव
3. गीता देवी बेवा श्रवण बावरी निवासी चितावा
4. लिछमण पुत्र श्रवण बावरी निवासी चितावा
5. जवरीमल पुत्र श्रवण बावरी निवासी चितावा
6. नानूराम पुत्र मोहनराम बावरी के कायम मुकाम
   6/1 जेठूडी बेवा नानूराम
   6/2 माणकचन्द्र पुत्र नानूराम
7. सज्जनसिंह पुत्र भंवरसिह राजपूत
8. मंगेजसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
9. गिरवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
10. रविन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह
11. पूर्णसिंह पुत्र बहादुरसिंह
12. मीठूकंवर पत्नी बहादुरसिंह
13. दिलीपसिंह पुत्र भंवरसिंह
14. प्रकाशसिंह पुत्र अगरसिंह
15. रणजीत पुत्र अगरसिंह
16. नारायणी पत्नी प्याराराम जाट भीचरों का बास
17. संतोष कंवर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी चितावा
18. मानादेवी पत्नी गुलाराम जाट निवासी भीचरों का बास

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

19. कमलादेवी पत्नी रामनिवास जाट निवासी भीचरों का बास
20. मेनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक चितावा
21. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार, कुचामनसिटी
22. सोहनी देवी बेवा सुखदेव बावरी निवासी चितावा

वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू विभाजन व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री .....अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक: 20/03/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृर्षि भूमि गत खसरा नम्बर 128 कुल रकबा 86 बीघा 19 बीस्वा स्थित रही है जिसके नवीन भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 389 रकबा 1.41 है0, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 392 रकबा 11.33 है0 जुमले 12.75 है0 अंकित हुए है।

उपर्युक्त भूमि सम्पूर्ण भूमि जागीर के वक्त यानि सम्वत 2000 के पूर्व से भंवरसिंहजी, अगरसिंह जी की जागीर की भूमि रही थी जिसमें से 9 बीघा भूमि दक्षिणी तरफ की भूमि चूनाजी बावरी को चाकरी की एवज में कास्त हेतु बता दी थी तब से आजीवन वे उक्त भूमि पर जायज कृषक के रूप में काबिज रहे तथा चूनारामजी के स्वर्गवासोपरान्त उक्त भूमि चूनारामजी के पुत्र रामुराम व मोहनराम के कब्जा में रही।

रामूराम, मोहनराम ने आपसी पारिवारिक बंटवारा करीब 45, 46 वर्ष पूर्व अपनी पैतृक भूमियों पर अलग अलग कास्त करने लग गए इस पारिवारिक बंटवारा रूपरूप उपर्युक्त गत खसरा नं0 128 की भूमि में 9 बीघा दक्षिणी तरफ की भूमि मोहनरामजी के बंट व कब्जा कास्त में आई तब से वे आजीवन उक्त भूमि पर जायज रूप से काबिज रहे है।

मोहनराम के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी नानूराम है। मोहनराम का स्वर्गवास होने के बाद उपयुक्त 9 बीघा सम्पूर्ण भूमि वादी भागीरथराम के कब्जा व बंट से आई तब से वादी भागीरथराम उक्त सम्पूर्ण भूमि पर जायज रूप से काबिज चला आ रहा है। इस भूमि में वादी के भाई नानूराम का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है।

वादी ने अपनी इस भूमि बाबत वांछित तस्दीक करने हेतु हल्का पटवारी को कहा तो उसने इंकार कर दिया तथा उक्त भूमि के खाते में नवीन खसरा नम्बर389, 391, 392 में 1.46 है0 भूमि का खाता प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज होना बताया तथा शेष 11.29 है0 भूमि प्रतिवादीगण 1 ता 14 के नाम सम्मिलित रूप से अभिलिखित होना बताया गया। जिसमें से 0.80 है0 भूमि उन्होने प्रतिवादी संतोष देवी को व 0.81 है0 भूमि प्रतिवादी धापूदेवी के नाम विक्रय की दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचाम॰ सिटी (नागौर)

उक्त खाते के सही रूप से वादी के नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण 1 ता 5 को कहा तो इतने दिन वे आश्वासन देते रहे तथा कुछ समय से इंकार करने लगे तो वादी ने पुरानी नकले इत्यादि प्राप्त की तो ज्ञात हुआ की उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 128 में 9 बीघा सम्पूर्ण का खाता कर्ताखानदान व बडा भाई रामूजी होने से अकेले रामूजी के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई जबकि उक्त भूमि पर पारिवारिक बंटवारा स्वरूप विगत 45,46 वर्ष से रामूजी अथवा उनके वारिसान का कभी कब्जाकास्त नहीं रहा। उक्त भूमि पर वादी के पिता मोहनरामजी काबिज रहे तथा अब वादी अकेला काबिज है। नवीन खसरा नम्बर 389 रकबा 1.41 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 392 में दक्षिणी तरफ का 0.05 है0 भूमि है खसरा नम्बर 392 की शेष भूमि व खसरा नम्बर 391 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण 7 ता 16 के कब्जा व अधिकार की है। विगत 45,46 वर्षों से मोहनरामजी का कब्जाकास्त होने से ऐडवर्स पजेशन का टाईटल उनके पक्ष में पूर्ण हो चुहा था। जो अधिकार वादी को अब स्वतः जरिए उत्तराधिकार व बंटवारा स्वरूप ही रहे है। उनका नाम खाते में गत भू प्रबन्ध की गलती से अकेले रामूराम के नाम दर्ज होने से फौतगी नामान्तकरण के आधार पर बिना किसी कब्जाकास्त के अंकन हुआ है। जिससे वादी के जायज अधिकारों पर कतई विपरित असन नहीं पड सकता। हालाकि अब कुछ दिनां पूर्व प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने एक सहमति पत्र भी 100 रूपये स्टाम्प पेपर पर दिनांक 19.01.2006 को वादी का हक अधिकार उक्त भूमि पर मानते हुए निष्पादित करा दिया है। अब इंकार करने लगे है इसलिए यह वाद खातेदारी घोषणार्थ लाना आवश्यक हुआ है।

वादी एवं प्रतिवादीगण 7 ता 16 के बीच विधिवत भू विभाजन नहीं हुआ है। वादी खाते में अंकित 1.46 है0 भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भू विभाजन कराने के हकदार है।

बिनाय दावा अभी 3,4 वर्ष पूर्व रेकर्ड की उक्त मूल की जानकारी होने पर व इतने दिन प्रतिवादीगण 1 ता 6 द्वारा खाता दुरूस्ती का आश्वासन देते रहने व कुछ दिनों से सहमति देने के बाद भी खाता बदलवाने से इंकार करने पर बमुकाम चितावा कुचामनसिटी में पैदा हुई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम 1.46 है0 की गलत खातदारी दर्ज होने से व प्रतिवादी संख्या 6 वादी का भाई होने से बंटवारा स्वरूप वादी के हक में उक्त भूमि होने से तथा प्रतिवादीगण 7 ता 17 11.29 है0 भूमि के सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 18 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत है :–

ग्राम चितावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 128 के भाग नवीन खसरा नम्बर 389 रकबा 1.41 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 392 रकबा 11.33 है0 में से दक्षिणी तरफ की 0.05 है0 जुमले 1.46 है0 का वादी (प्रतिवादीगण 1 ता 5 के

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्थान पर) काबिज खातेदार कृषक है, इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 1 ता 6 सादिर फरमाई जावे तथा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम हटाया जावे।

उपयुक्त खसरा नम्बर 389, 392 में वादी की 1.46 है0 भूमि बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भू विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जाकर वादी की सेपरेट होल्डिंग कायम करने व लगान में बंटवारा करने की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा राजस्व अभिलेख में इसी मांफिक इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आज्ञा प्रदान करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.08.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 10 तथा 12 ता 17 अनुपस्थित रहने पर इकतरफा की गई। दिनांक 18.08.2008 को पत्रावली उपखण्ड कार्यालय, नावां से स्थानान्तरण होकर सहायक कलक्टर कार्यालय कुचामनसिटी में स्थापित होने से पत्रावली प्राप्त हुई। दिनांक 30.04.2009 को प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्वीकार की गई। दिनांक 16.07.2009 को प्रतिवादी संख्या 18 का समन तामिल होकर प्राप्त गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 18.10.2011 को प्रतिवादी संख्या 8,9,11 की तामिल होकर प्राप्त गैरहाजिर होने पर इकतरफा की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की मृत्यु होने पर कायम मुकाम शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 6 के कायम मुकाम के सम्मन व प्रतिवादी संख्या 17 के सम्मन तामिल होकर शामिल मिसल। दिनांक 11.02.2016 को गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 04.03.2016 को प्रतिवादी संख्या 16,18,19 का सम्मन तामिल प्राप्त, गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 06.04.2017 को प्रतिवादी संख्या 1/2 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 11, 20 सम्मन प्राप्त गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 29.09.2017 को प्रार्थना पत्र आर्डर 1 आर 10 सीपीसी का स्वीकार कर सोहनी देवी पत्नी सुखदेव को पक्षकार बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कायम मुकाम ने राजीनामा पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक 08.01.2018 को वकील प्रतिवादी द्वारा जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया। दिनांक 16.02.2018 को वादी स्वयं एवं गवाह मदनलाल व सज्जन सिंह के शपथ पत्र मय दस्तावेज के पेश किया, शामिल मिसल है। गवाह ओर पेश नहीं करने पर गवाह वादी बन्द की गई। मिसल वास्ते बहस पर रहने से वकील उपस्थित। वकील वादी ने बहस सुनाई, बहस में वाद पत्र एवं संलग्न खतोनी, राजीनामा, समझोता पत्र का कथन करते हुए निवेदन किया की वादी का वाद ग्राम चितावा के गत खसरा नम्बर 128 के भाग नवीन खसरा नम्बर 389 रकबा 1.41 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 392 रकबा 11.33 है0 में से दक्षिण तरफ की 0.5 है0 वादी (प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के स्थान पर) काबिज खातेदार है। खातेदारी की घोषणा फरमावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम हटाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 389, 392 में वादी की 1.46 है0 भूमि बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भू विभाजन की डिक्री फरमाकर सेपरेट होल्डिंग कायम करने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को फरमावें।

वकील वादी की बहस, वादी का वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतोनी सम्वत 2008–26 व 2066 से 2069 व 2070 से 2073, गिरदावरी 2010 से 2029, नक्शा ट्रेस, समझोता पत्र, राजीनामा एवं शपथ पत्र का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायलय का मत है की समझौता पत्र पारीवारिक होने पर व वाद में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब, साक्ष्य, सबूत आदि पत्रावली में शामिल मिसल नहीं होने से वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 389 रकबा 1.41 है0 व खसरा नम्बर 392 रकबा 11.33 है0 में से दक्षिणी तरफ की 0.05 है0 कुल 1.46 है0 का वादी भागीरथराम पुत्र मोहनराम जाति बावरी निवासी ग्राम चितावा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम हटाया जाता है। डिक्री परचा भरा जाकर शामिल मिसल किया जायें। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 20/09/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)